NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□ □□□□□□

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 07 Nov , 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 3 : Science & Technology / Prelims	निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए पहले पीएसएलवी का अनावरण 2026 में किया जाएगा: इसरो अध्यक्ष
Page 07 Syllabus : GS 2 : Governance	कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति: प्रगतिशील कदम या प्रतीकात्मक इशारा?
Page 08 Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	भोजन में न्याय: खाद्य प्रणालियों में न्याय का अर्थ है स्वस्थ, किफायती आहार में परिवर्तन
Page 10 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	नामांकन प्रक्रिया में सुधार की जरूरत क्यों है
Page 15 Syllabus : GS 3 : Environment	2025 रिकॉर्ड पर शीर्ष तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा: संयुक्त राष्ट्र
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Governance	कल्याणकारी वास्तुकला को फिर से तैयार करें, केंद्र में एक यूबीआई रखें

Page 03 : GS 3 : Science & Technology / Prelims

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर में, इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने घोषणा की कि एचएएल और एलएंडटी के नेतृत्व में एक निजी संघ द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) फरवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग में व्यावसायीकरण और निजीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है - जो "आत्मनिर्भर भारत" और अंतरिक्ष नीति 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी पर जोर देती है।

First PSLV made by private firms to be unveiled in 2026, says ISRO Chairman

The Hindu Bureau
BENGALURU

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chairman V. Narayanan said on Thursday that the first Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rocket developed by a private consortium, led by Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and L&T, would be launched in February 2026.

Speaking during the inauguration of the India Manufacturing Show 2025 in Bengaluru, he said, "The consortiums led by HAL and L&T have produced the first rocket and we are going to have the launch by February 2026. Once we succeed with two launches, our plan is to give at least 50% of the PSLV directly to the Indian industry consortium."

V. Narayanan

He added that about 80% to 85% of the systems are developed by private industries.

"On November 2, the ISRO's heaviest communication satellite CMS-03 was placed successfully in the orbit for enhancing the communication capability of India using our own Bahubali rocket LVM-3 M5. This mission is launched by the ISRO, no doubt but if you look at the contribution almost 80% to 85% systems are delivered by Indian industry that speaks volume of the contribution by the Indian industries," he added.

450 Indian industries

He said that about 450 Indian industries are contributing towards the Indian space programme and today, 330 plus start-up ecosystems are working in the country.

"The Indian space programme, when it was started, was 70 years behind the developed nations. By 2040... the programme will be on par with any other space-faring nations in terms of launchers, satellites, human space flight programme and applications," he said.

Speaking on the occasion, Defence Research and Development Organisation (DRDO) Chairman Samir V. Kamat said that the contribution of the Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sector was very significant during Operation Sindoor.

He further said that for a country to retain its sovereignty, it is very important to indigenously develop critical technologies.

मुख्य विश्लेषण

- **निजी क्षेत्र का एकीकरण और स्वदेशी क्षमता:** आगामी पीएसएलवी पहली बार है कि एक लॉन्च वाहन का पूरा उत्पादन एक गैर-सरकारी कंसोर्टियम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। निजी उद्योगों द्वारा पहले से ही 80-85 प्रतिशत प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है, यह परिवर्तन भारत के बढ़ते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी परिपक्वता को दर्शाता है। वर्तमान में 450 से अधिक भारतीय उद्योग इसरो के मिशनों में योगदान करते हैं, और 330 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप उभरे हैं - जो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते नवाचार का प्रमाण है।
- **रणनीतिक और आर्थिक महत्व:** इस कदम से इसरो का परिचालन भार कम हो जाता है, जिससे यह अनुसंधान एवं विकास और मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान), ग्रहों की खोज और गहरी अंतरिक्ष परियोजनाओं जैसे उन्नत मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी वैश्विक बाजार में भारतीय लॉन्च सेवाओं की दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निर्यात क्षमता को बढ़ाएगी।
- **तकनीकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा:** जैसा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी. कामत ने रेखांकित किया है, संप्रभुता बनाए रखने के लिए स्वदेशी रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास करना आवश्यक है। इसरो, डीआरडीओ और भारतीय उद्योग के बीच तालमेल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करेगा, आयात निर्भरता को कम करेगा और रक्षा और दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में योगदान देगा।
- **दीर्घकालिक दृष्टि:** इसरो का लक्ष्य भारत को 2040 तक लांचर, उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रगति के साथ अग्रणी अंतरिक्ष-यात्रा करने वाले देशों के बराबर होना है। एचएएल-एलएंडटी कंसोर्टियम की पीएसएलवी परियोजना इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे भविष्य में 50 प्रतिशत पीएसएलवी लॉन्च निजी क्षेत्र द्वारा किए जा सकते हैं।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यावसायीकरण क्या है?

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायीकरण का तात्पर्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से है।
- यह नीतिगत परिवर्तनों द्वारा सक्षम है जो उन्हें उपग्रहों को विकसित करने और लॉन्च करने, अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है।
- एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसीएल) - इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- यह इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की विपणन शाखा है।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) – यह 2019 में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया है।
- प्रक्षेपण वाहनों के उत्पादन, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन सहित अंतरिक्ष उत्पादों के व्यावसायीकरण का नेतृत्व करना।
- अंतरिक्ष में – यह 2020 में स्थापित किया गया था और अंतरिक्ष विभाग (DOS) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह निजी संस्थाओं की अंतरिक्ष क्षेत्र की सभी गतिविधियों के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- उभरते अंतरिक्ष स्टार्टअप – भारत में कई निजी अंतरिक्ष कंपनियां उभरी हैं, जिनमें स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सल और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस शामिल हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण का महत्व (संक्षेप में)

- **स्वदेशी क्षमता: भारत को** पुन: प्रयोज्य और भारी-लिफ्ट रॉकेट विकसित करने में मदद करता है, जिससे विदेशी लांचरों पर निर्भरता कम होती है (उदाहरण के लिए, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया जीसैट-एन 2)।

- **आर्थिक विकास:** भारत के 7 बिलियन डॉलर के अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार करता है, निजी भागीदारी के माध्यम से राजस्व के नए स्रोत बनाता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** लागत प्रभावी प्रक्षेपण के माध्यम से 440 बिलियन डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाता है।
- **रोजगार सृजन और कौशल विकास:** एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, उपग्रह डिजाइन और डेटा एनालिटिक्स में रोजगार पैदा करता है।
- **रणनीतिक स्वतंत्रता:** विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वायत्तता को बढ़ाता है।
- **इनोवेशन बूस्ट:** सार्वजनिक-निजी सहयोग पुन: प्रयोज्य रॉकेट और छोटे लॉन्चरों के विकास को गति देता है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** असेंबली इकाइयों और लॉन्च पैड जैसी पीपीपी-आधारित सुविधाओं को प्रोत्साहित करता है।
- **एफडीआई आकर्षण**: प्रमुख अंतरिक्ष क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना।

आवश्यक उपाय

- **नीतिगत ढांचे को मजबूत करना:** निजी कंपनियों के लिए सहायक और पारदर्शी नीतियां तैयार करना।
- **माइलस्टोन-आधारित फंडिंग:** जवाबदेही और लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए फंडिंग को प्रदर्शन चरणों से जोड़ें।
- **निजी उद्योग का लाभ उठाएं:** प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए पुन: प्रयोज्य और भारी-लिफ्ट वाहनों के लिए अनुबंध प्रदान करें।
- **वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को** प्रोत्साहित करना **और विदेशी फर्मों के साथ** संयुक्त अनुसंधान एवं विकास करना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास करें:** स्टार्टअप के लिए **साझा परीक्षण और लॉन्च सुविधाएं** बनाएं।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दें:** कुशल जनशक्ति के लिए उद्योग की जरूरतों के साथ विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को संरेखित करें।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** तेजी से नवाचार के लिए इसरो की विशेषज्ञता को निजी क्षेत्र की चपलता के साथ जोड़ना।

निष्कर्ष

पहले निजी तौर पर निर्मित पीएसएलवी का विकास भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है – सरकार द्वारा संचालित मॉडल से सार्वजनिक-निजी सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र में। यह न केवल भारत के औद्योगिक और तकनीकी आधार को मजबूत करता है बल्कि देश को वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र बनने की ओर भी प्रेरित करता है। आने वाले वर्षों में यह परीक्षण किया जाएगा कि भारत 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए नवाचार, विनियमन और प्रतिस्पर्धात्मकता को कितने प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत अब उपग्रह निर्माण और संचालन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देता है।

2. एक निजी कंसोर्टियम द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) 2026 तक लॉन्च किया जाएगा।

3. इसरो वर्तमान में निजी उद्योग के समर्थन के बिना सभी रॉकेट और उपग्रहों का निर्माण करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण का क्या महत्व है? भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Page 08: GS 2 : Governance

कर्नाटक निजी क्षेत्र सहित सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक वैध कार्यस्थल चिंता के रूप में पहचानने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में सम्मानित किया गया है, नीति ने इसके दायरे, पर्याप्तता और लैंगिक समानता और कार्यस्थल की गतिशीलता के लिए संभावित प्रभावों पर बहस भी शुरू कर दी है।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Karnataka's menstrual leave policy: progressive step or symbolic gesture?

While the move has received appreciation, it has also sparked a debate on whether a single day is sufficient and if it will achieve its intended purpose; doctors say that it could make a big difference for women living with painful periods or other conditions, but add that focus should be on helping women manage menstrual discomfort effectively

Afshan Yasmeen

Karnataka has become the first State in the country to approve one day of paid menstrual leave per month for all women employees, covering both government and private sectors. Odisha and Bihar have similar policies for government employees, while Kerala has implemented this in universities.

Cleared recently by the Karnataka Cabinet, the policy is being hailed as a progressive measure recognising menstrual health as a legitimate workplace concern. The leave, amounting to 12 days a year, applies to women in government offices, educational institutions, factories, and private organisations. While the move has received widespread appreciation, it has sparked debate on whether a single day of leave is sufficient and whether it will achieve its intended purpose.

How it came about

Describing the decision as a "momentous occasion," Sapna S., associate dean and head, school of law, Christ (Deemed-to-be) University, said it marks a progressive step towards gender equity and aligns with the principles of affirmative action enshrined in the Constitution.

Dr. Sapna, who chaired the 11-member committee that drafted the policy, said it resulted from extensive consultations and comparative studies. "We reviewed global practices from countries such as Finland and Japan. The committee included gynaecologists, psychiatrists, professors, employers, employees, NGOs, and trade unions. Though there were suggestions to reduce the leave to half a day or change the name, our persistence paid off, and the government approved 12 days, aligning with our original proposal," she said.

On concerns of misuse, she said that a sub-committee will frame implementation guidelines for the policy. "Misuse can occur with any law. But accommodating menstrual leave can boost productivity and employee well-being in the long run." She also emphasised the need for sensitisation programmes to prevent stigma or discrimination, adding, "Female-friendly workplaces should have these provisions intact, as they reflect the true spirit of gender equity."

Citing global research, Dr. Sapna said menstrual pain was a serious health concern. "A 2018 Quartz article quoted John Guilleband, a reproductive health professor at University College London, as saying patients described menstrual cramps as 'almost as bad as having a heart attack.' That itself underscores the need for understanding and supportive policies," she noted.

Gynaecologists note that menstrual experiences vary widely, from mild discomfort to debilitating pain. Some women may experience fatigue, mood swings, migraines, or heavy bleeding, while others may have minimal symptoms.

Seeking change: Students staging a protest demanding 12 menstrual leaves per semester for female students in Delhi University. AFP

Hema Divakar, division director at Well Women Healthcare, International Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO), said conditions such as adenomyosis, endometriosis, fibroids, or hormonal imbalances can cause severe pain or heavy bleeding and require medical treatment. "Instead of blindly asking for a day's leave, girls and women should undergo a wellness check to identify and address root causes. Many of these issues can be fixed," she said.

While welcoming the policy, she cautioned that menstrual leave may be more symbolic than practical. "Menstruation is a recurring physiological process affecting each woman differently. Pregnancy leave allows the mother's body to recover and facilitates bonding with the newborn. Granting a one-day leave for menstruation may not make much sense," she said. She also warned that mandatory menstrual leave could inadvertently reinforce workplace bias. "From an employer's perspective, there may be hesitation in assigning women critical roles or leadership responsibilities if they are perceived as taking frequent leave. This could deepen gender inequity," she noted.

> A 2018 Quartz article quoted John Guilleband, a reproductive health professor at University College London, as saying patients described menstrual cramps as 'almost as bad as having a heart attack.' That itself underscores the need for understanding and supportive policies
>
> DR. SAPNA
> Head of committee that drafted the policy

Stating that menstruation was no longer a "hush-hush" subject thanks to greater awareness through education and social media, Dr. Divakar said: "Prevent illness, promote wellness should be the mantra. The focus should be on helping women manage menstrual discomfort effectively rather than offering a symbolic one-day off."

Subasini Inamdar, senior consultant obstetrician and gynaecologist at Motherhood Hospitals, Bengaluru, said menstrual leave was a woman's right. "In ancient times, women took four days off from household work purely for rest, to preserve physical and emotional well-being, not as a sign of impurity. The original intent has been lost over time," she said.

Calling the policy a "welcome and much-needed step," Dr. Inamdar said it recognises menstrual health as integral to overall well-being. Severe menstrual pain, or dysmenorrhea, affects women of all ages, particularly younger women or those with gynaecological conditions. Stress, lack of exercise, and poor sleep can further aggravate symptoms. Persistent pain should be medically evaluated rather than dismissed as normal, Dr. Inamdar said.

For mild to moderate discomfort, simple measures such as hot compresses, hydration, light exercise, and rest can help. Over-the-counter pain relief may also be used. For severe or recurrent pain, consultation with a gynaecologist is essential. "Conditions such as endometriosis or fibroids require targeted treatment, which could include hormonal therapy or lifestyle adjustments," Dr. Inamdar noted.

Need for awareness

For women living with painful periods or conditions such as endometriosis, adenomyosis, fibroids, or PCOS, menstrual leave can make a significant difference, said Sumitha Mahesh, medical director and senior consultant gynaecologist at Milann Birthing Hospital, Bengaluru.

"These conditions can cause severe cramps, heavy bleeding, and exhaustion, making it difficult to get through daily life. Having the option to take a day off allows women to rest without using their regular sick leave," Dr. Mahesh said. However, she emphasised that severe or unusually heavy periods should not be dismissed as normal.

"It's important to consult a gynaecologist to identify the underlying cause and receive appropriate treatment – whether through medication, a procedure, or lifestyle changes – to make future cycles easier to manage," she said.

Dr. Mahesh highlighted the need for greater awareness among women, noting that many assume intense pain or heavy bleeding is normal and therefore delay seeking medical help.

While menstrual leave can offer temporary relief, Dr. Mahesh underlined that addressing the root cause is key for long-term well-being. She also called for workplace policies that are flexible, optional, and free from stigma. "Every woman's cycle is different, and symptoms can vary widely. Policies should be sensitive, and no one should feel pressured to disclose personal details or fear that taking leave will affect their performance," she said.

(yasmeen.afshan@thehindu.co.in)

THE GIST

- Karnataka has become the first State in the country to approve one day of paid menstrual leave per month for all women employees. The leave applies to women in government offices, educational institutions, factories, and private organisations.
- Citing global research, doctors say that menstrual pain was a serious health concern and that the policy recognises menstrual health as integral to overall well-being. Some experts warn that the leave could inadvertently reinforce workplace bias.
- Doctors call for workplace policies that are flexible, optional, and free from stigma. Policies should be sensitive, and no one should feel pressured to disclose personal details or fear that taking leave will affect their performance, they say.

नीति के प्रगतिशील पहलू

एक. मासिक धर्म स्वास्थ्य की मान्यता: यह कदम औपचारिक रूप से मासिक धर्म को एक वास्तविक स्वास्थ्य समस्या के रूप में स्वीकार करता है जो उत्पादकता और कल्याण को प्रभावित कर सकता है - कार्यस्थलों में मासिक धर्म की चर्चा को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ।

दो. सभी क्षेत्रों में समावेशिता: बिहार और ओडिशा के विपरीत, जहां मासिक धर्म अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, कर्नाटक की नीति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के श्रमिकों को कवर करती है, जिससे यह अधिक व्यापक हो जाती है।

तीन. लैंगिक समानता और सकारात्मक कार्रवाई: यह नीति समानता और सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, न्यायसंगत कामकाजी परिस्थितियों के लिए प्रयास करते हुए शारीरिक मतभेदों को पहचानती है।

चार. स्वास्थ्य और उत्पादकता लाभ: जैसा कि डॉ. सपना एस जैसे विशेषज्ञों ने बताया है, दर्दनाक मासिक धर्म के दिनों के दौरान आराम प्रदान करने से दीर्घकालिक उत्पादकता, मनोबल और नौकरी की संतुष्टि बढ़ सकती है।

चिंताएँ और सीमाएँ

एक. एक दिन की छुट्टी की पर्याप्तता: कई लोग तर्क देते हैं कि प्रति माह एक दिन अपर्याप्त हो सकता है, यह देखते हुए कि मासिक धर्म में दर्द और लक्षण अक्सर कुछ महिलाओं के लिए दो से तीन दिनों तक रहते हैं।

दो. संरचनात्मक समर्थन के बिना प्रतीकवाद का जोखिम: जैसा कि डॉ. हेमा दिवाकर ने नोट किया है, नीति प्रतीकात्मक हो सकती है यदि मासिक धर्म की परेशानी को प्रबंधित करने के लिए कल्याण जांच, जागरूकता कार्यक्रम और चिकित्सा सहायता जैसे व्यापक प्रयासों के साथ नहीं है।

तीन. लिंग पूर्वाग्रह की संभावना: अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश अनजाने में कार्यस्थल की रूढ़ियों को मजबूत कर सकता है, जिससे नियोक्ता महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका या महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करने में संकोच करते हैं , जिससे लैंगिक असमानता गहरी हो जाती है।

चार. जागरूकता और चिकित्सा अनुवर्ती की कमी: कई महिलाएं गंभीर मासिक धर्म के दर्द को "सामान्य" के रूप में खारिज करना जारी रखती हैं। जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य देखभाल सहायता के बिना, अकेले नीति दीर्घकालिक मासिक धर्म स्वास्थ्य परिणामों में सुधार नहीं कर सकती है।

विशेषज्ञ परिप्रेक्ष्य

- चिकित्सा दृष्टिकोण: स्त्री रोग विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉएड, या हार्मोनल असंतुलन जैसी स्थितियां मासिक धर्म को गंभीर रूप से दर्दनाक बना सकती हैं, और ऐसी महिलाओं को इस छुट्टी नीति से काफी लाभ होगा।
- निवारक और समग्र दृष्टिकोण: विशेषज्ञ एक कल्याण-उन्मुख मॉडल की वकालत करते हैं - व्यायाम, जलयोजन, आराम और चिकित्सा परामर्श को बढ़ावा देना - केवल छुट्टी के अधिकारों पर निर्भर रहने के बजाय।
- संवेदीकरण की आवश्यकता: दुरुपयोग और कलंक को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर संवेदीकरण और स्पष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देश आवश्यक हैं ताकि महिलाएं निर्णय या करियर के प्रभाव के डर के बिना छुट्टी का उपयोग कर सकें।

आगे की राह

- स्वास्थ्य और नीति को एकीकृत करें: मासिक धर्म अवकाश को अवधि-अनुकूल बुनियादी ढांचे, जैसे शौचालय, स्वच्छता सुविधाएं और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के साथ मिलाएं।
- जागरूकता और शिक्षा: महिलाओं को असामान्य मासिक धर्म के लक्षणों की पहचान करने और समय पर चिकित्सा सलाह लेने में मदद करने के लिए अभियान चलाएं।
- वैकल्पिक और लचीली नीति: सुनिश्चित करें कि मासिक धर्म अवकाश स्वैच्छिक रहे, अनिवार्य नहीं, ताकि महिलाएं अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर निर्णय ले सकें।
- नियमित मूल्यांकन: समय-समय पर पॉलिसी की प्रभावशीलता और समावेशिता की समीक्षा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रूढ़ियों को मजबूत किए बिना अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करता है।

निष्कर्ष

कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति कार्यस्थल में महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की एक प्रगतिशील स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है – भारत की लैंगिक समानता यात्रा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता। हालांकि, इस कदम को एक प्रतीकात्मक इशारे से ठोस सुधार में बदलने के लिए, सहायक, कलंक-मुक्त कार्यस्थलों को बनाने और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से मासिक धर्म कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए । सच्चा सशक्तिकरण केवल एक दिन की छुट्टी देने में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने

में भी निहित है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य महिलाओं के कामकाजी जीवन का एक सामान्य, स्वीकृत और अच्छी तरह से समर्थित पहलू बन जाए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: मासिक धर्म स्वास्थ्य को कार्यस्थल की चिंता के रूप में पहचानना लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में समावेशी और न्यायसंगत कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति के महत्व पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page 08 : GS 2 : Social Justice / Prelims

स्वस्थ, टिकाऊ और न्यायपूर्ण खाद्य प्रणालियों पर हाल ही में जारी ईएटी-लैंसेट आयोग की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि खाद्य प्रणालियाँ वैश्विक पर्यावरण संकट के केंद्र में हैं। इससे पता चलता है कि अकेले खाद्य उत्पादन छह उल्लंघनों में से पांच ग्रहों की सीमाओं को चलाता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में लगभग 30% योगदान देता है। रिपोर्ट में ऐसी खाद्य प्रणालियों की ओर संक्रमण का आह्वान किया गया है जो टिकाऊ, न्यायसंगत और स्वास्थ्य-उन्मुख हों, जो न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि उत्पादकों और ग्रह के लिए भी न्याय सुनिश्चित करती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

एक. **एक प्रमुख पारिस्थितिक चालक के रूप में भोजन:**
- कृषि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रवाह, मीठे पानी के उपयोग और प्रदूषण से संबंधित ग्रहों की सीमाओं को पार करने के लिए जिम्मेदार है।
- पशु-आधारित खाद्य पदार्थ कृषि उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जबकि अनाज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पानी के उपयोग पर हावी है।

दो. **वैश्विक नाइट्रोजन अधिशेष:**
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान कृषि प्रथाएं सुरक्षित सीमा से दोगुने से अधिक नाइट्रोजन अधिशेष बनाती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और पानी की गुणवत्ता को खतरा होता है।

तीन. **दक्षता लाभ का सीमित प्रभाव:**
- अकेले तकनीकी या उपज दक्षता स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई उत्पादकता अक्सर उच्च कुल उत्पादन की ओर ले जाती है, जब तक कि ठोस नीतिगत ढांचे द्वारा समर्थित न हो, पर्यावरणीय बचत को नकार दिया जाता है।

चार. **यथार्थवादी लेकिन सतर्क दृष्टिकोण:**
- यहां तक कि संयुक्त कार्यों के साथ - आहार में बदलाव से लेकर उत्सर्जन शमन तक - दुनिया केवल 2050 तक जलवायु और मीठे पानी की सीमाओं पर सुरक्षा पर लौट सकती है, पोषक तत्वों की सुरक्षा अभी भी तनाव में है।

भारतीय संदर्भ

एक. **अनाज-भारी आहार और विविधीकरण की आवश्यकता:**
- भारत के भोजन पैटर्न में अनाज, विशेष रूप से चावल और गेहूं का वर्चस्व है।
- 2050 के बेंचमार्क को पूरा करने के लिए सब्जियों, फलों, फलियों और नट्स के सेवन में वृद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन यह परिवर्तन खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है, जिससे सामर्थ्य एक प्रमुख चिंता का विषय बन जाता है।

दो. **सामर्थ्य और न्याय:**

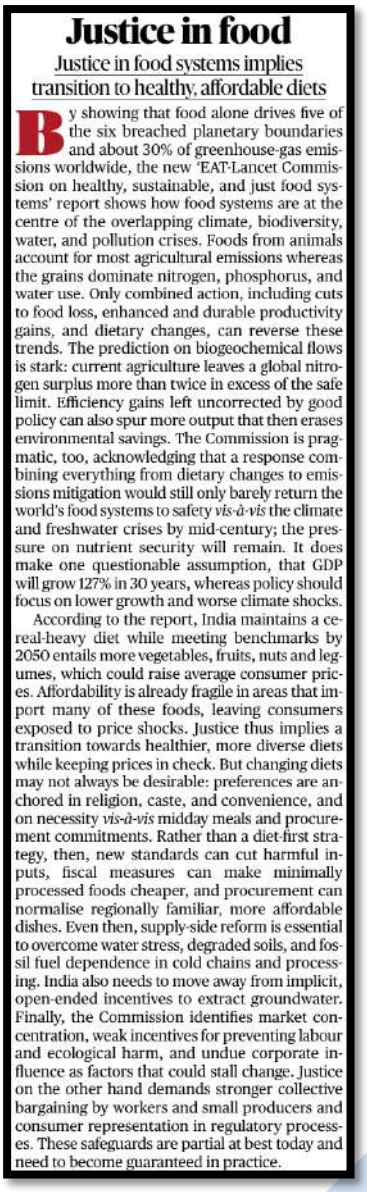

Justice in food

Justice in food systems implies transition to healthy, affordable diets

By showing that food alone drives five of the six breached planetary boundaries and about 30% of greenhouse-gas emissions worldwide, the new 'EAT-Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems' report shows how food systems are at the centre of the overlapping climate, biodiversity, water, and pollution crises. Foods from animals account for most agricultural emissions whereas the grains dominate nitrogen, phosphorus, and water use. Only combined action, including cuts to food loss, enhanced and durable productivity gains, and dietary changes, can reverse these trends. The prediction on biogeochemical flows is stark: current agriculture leaves a global nitrogen surplus more than twice in excess of the safe limit. Efficiency gains left uncorrected by good policy can also spur more output that then erases environmental savings. The Commission is pragmatic, too, acknowledging that a response combining everything from dietary changes to emissions mitigation would still only barely return the world's food systems to safety *vis-à-vis* the climate and freshwater crises by mid-century; the pressure on nutrient security will remain. It does make one questionable assumption, that GDP will grow 127% in 30 years, whereas policy should focus on lower growth and worse climate shocks.

According to the report, India maintains a cereal-heavy diet while meeting benchmarks by 2050 entails more vegetables, fruits, nuts and legumes, which could raise average consumer prices. Affordability is already fragile in areas that import many of these foods, leaving consumers exposed to price shocks. Justice thus implies a transition towards healthier, more diverse diets while keeping prices in check. But changing diets may not always be desirable: preferences are anchored in religion, caste, and convenience, and on necessity *vis-à-vis* midday meals and procurement commitments. Rather than a diet-first strategy, then, new standards can cut harmful inputs, fiscal measures can make minimally processed foods cheaper, and procurement can normalise regionally familiar, more affordable dishes. Even then, supply-side reform is essential to overcome water stress, degraded soils, and fossil fuel dependence in cold chains and processing. India also needs to move away from implicit, open-ended incentives to extract groundwater. Finally, the Commission identifies market concentration, weak incentives for preventing labour and ecological harm, and undue corporate influence as factors that could stall change. Justice on the other hand demands stronger collective bargaining by workers and small producers and consumer representation in regulatory processes. These safeguards are partial at best today and need to become guaranteed in practice.

- खाद्य प्रणालियों में न्याय का अर्थ है पौष्टिक और विविध आहार सुनिश्चित करना जो सस्ती रहे, खासकर कमजोर समूहों के लिए।
- पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए आयात पर निर्भर कई क्षेत्र कीमतों के झटके के संपर्क में हैं, जिससे स्वस्थ आहार की ओर बदलाव एक चुनौती बन गया है।

तीन.**सांस्कृतिक और नीतिगत बाधाएँ:**

- आहार विकल्प धर्म, जाति और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ मध्याह्न भोजन और खरीद नीतियों जैसे राज्य कल्याण कार्यक्रमों से गहराई से जुड़े हुए हैं।
- इसलिए, इन अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक कारकों को संबोधित किए बिना "आहार-पहले" दृष्टिकोण संभव नहीं हो सकता है।

न्यायसंगत परिवर्तन के लिए नीतिगत उपाय

एक.**इनपुट और राजकोषीय सुधार:**

- हानिकारक उर्वरकों और रसायनों पर अंकुश लगाने के लिए नए मानक लागू करें।
- न्यूनतम संसाधित, स्वस्थ खाद्य पदार्थों को सस्ता बनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन का उपयोग करें।

दो. **खरीद और खाद्य विविधता:**

- क्षेत्रीय रूप से विविध, पौष्टिक और किफायती व्यंजनों को बढ़ावा देने, आहार विविधता को सामान्य करने के लिए सार्वजनिक खरीद प्रणालियों का लाभ उठाया जा सकता है।

तीन.**आपूर्ति-पक्ष स्थिरता:**

- पानी की कमी, मिट्टी के क्षरण और कोल्ड चेन और प्रसंस्करण में जीवाश्म-ईंधन निर्भरता से निपटने के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार करना।
- खुले भूजल निष्कर्षण प्रोत्साहन को समाप्त करें जो पारिस्थितिक तनाव को खराब करते हैं।

चार.**न्याय के लिए संरचनात्मक सुधार:**

- किसानों, श्रमिकों और छोटे उत्पादकों के लिए सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को मजबूत करना।
- खाद्य नियामक प्रक्रियाओं में उपभोक्ता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- कॉर्पोरेट एकाग्रता और प्रभाव को कम करें जो स्थायी सुधारों में बाधा डालते हैं।

खाद्य प्रणालियों में न्याय आयाम

खाद्य प्रणालियों में न्याय पोषण से परे है - इसमें उचित पहुंच, न्यायसंगत भागीदारी और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। उसमे समाविष्ट हैं:

- सामाजिक न्याय: कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में छोटे उत्पादकों, महिलाओं और श्रमिकों को सशक्त बनाना।
- आर्थिक न्याय: किसानों की आय को नुकसान पहुंचाए बिना स्वस्थ भोजन को किफायती बनाना।
- पर्यावरण न्याय: सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना।

निष्कर्ष

ईएटी-लैंसेट रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को वैश्विक स्थिरता और न्याय बहस के मूल में सही ढंग से रखती है। भारत के लिए, चुनौती सामर्थ्य, सांस्कृतिक विविधता और पारिस्थितिक स्थिरता को संतुलित करने में है। भोजन में सच्चे न्याय के लिए उत्पादन और खपत पर एक साथ पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है - यह सुनिश्चित करना कि किसान और उपभोक्ता दोनों एक ऐसी प्रणाली से लाभान्वित हों जो

□□□□□ □□□□□□

लोगों के लिए स्वस्थ, पहुंच में उचित और ग्रह के लिए सुरक्षित हो। केवल इस तरह का एक एकीकृत दृष्टिकोण "ग्रहों की सीमाओं के भीतर, सभी के लिए स्वस्थ आहार" की दृष्टि को एक व्यावहारिक वास्तविकता □□□ □□□□ □□□

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□□□ और□□□□□ □□□□□□ □□□□□ और□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ **(150 शब्द)**

Page : 10 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

किसी भी लोकतंत्र की नींव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में निहित होती है , बल्कि उन्हें लड़ने की स्वतंत्रता में भी निहित होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य नागरिक ही चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, नामांकन प्रक्रिया – अधिनियम की धारा 33 से 36 द्वारा शासित – अत्यधिक प्रक्रियात्मक और बहिष्करण बन गई है, जिससे तकनीकी को लोकतांत्रिक इरादे को ओवरराइड करने की अनुमति मिलती है। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन के लेख में तर्क दिया गया है कि भारत की नामांकन प्रणाली आज अक्सर लोकतांत्रिक वैधता पर नौकरशाही के अनुपालन को प्राथमिकता देती है।

मुख्य मुद्दा - विवेक और प्रक्रियात्मक जाल

Why the nomination process needs reform

The Representation of the People Act (RP), 1951 mandates that only qualified candidates can contest an election. However, the process of verifying said qualifications has accumulated complexity over the years, with too much importance being laid on procedural technicalities than actual 'defects of a substantial character'

LETTER & SPIRIT

Kannan Gopinathan

A young woman from Dadra and Nagar Haveli called last week about the recent municipal council elections. This is a district in which I once served as Collector and Returning Officer. Her father's nomination for municipal councillor had been rejected with no hearing or chance at verification. She asked, "Sir, is this how elections work?" The honest answer is yes. And that is the problem.

One often hears about how nominations of candidates contesting elections are rejected over technicalities without any chance for clarification. However, the fact of that matter is that such rejections are lawful. The most undemocratic part of India's electoral process occurs before a single vote is cast – at the stage of nomination scrutiny.

The politics of procedure

India's electoral nomination process vests extraordinary discretion in a single official – the Returning Officer (RO). The Representation of the People Act (RP), 1951, particularly Sections 33 to 36, and the Conduct of Elections Rules, 1961, govern the nomination process. Section 36 authorises the RO to scrutinise nominations and reject those deemed invalid. The RO's power under Section 36(2) to conduct a "summary inquiry" ...

THE GIST

India's electoral nomination process vests extraordinary discretion in a single official – the Returning Officer (RO).

1. रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) का अत्यधिक विवेक:
   - आरपीए के पास रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्रों की जांच करने और उन्हें खारिज करने की असाधारण शक्तियां हैं।
   - धारा 36 (2) के तहत, एक आरओ "एक महत्वपूर्ण चरित्र के दोषों" के लिए नामांकन को अस्वीकार कर सकता है - फिर भी "पर्याप्त" को परिभाषित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।
   - संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) अदालतों को मतदान समाप्त होने तक चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिससे मनमाने ढंग से अस्वीकृति वास्तविक समय में लगभग अस्वीकार्य हो जाती है।
2. अस्वीकृति के आधार के रूप में प्रक्रियात्मक तकनीकी: उम्मीदवारों को अक्सर मामूली लिपिक या प्रक्रियात्मक चूक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जैसे:
   - शपथ लेना बहुत जल्दी या बहुत देर से;
   - हलफनामे में नोटरीकरण त्रुटियां (फॉर्म 26);
   - गुम या विलंबित नो-ड्यूज प्रमाणपत्र;
   - संपत्ति या देनदारियों का अधूरा प्रकटीकरण;
   - निर्धारित समय के बाद दाखिल करना, यहां तक कि कुछ मिनटों के लिए भी।

इन तकनीकी खामियों के बावजूद, हालांकि गैर-महत्वपूर्ण हैं, इसके परिणामस्वरूप वैध नामांकन रद्द कर दिए गए हैं, जिससे चुनाव शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की पसंद कमजोर हो गई है।

न्यायिक और प्रणालीगत जटिलताएं

- अनपेक्षित प्रभावों के साथ न्यायिक ओवररीच: पारदर्शिता के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों - आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि पर विस्तृत हलफनामे अनिवार्य करने - ने नामांकन को और अधिक जटिल बना दिया है। उदाहरण के लिए, रिसर्जेंस इंडिया बनाम चुनाव आयोग (2013) में, झूठी घोषणाओं के कारण मुकदमा चलाया गया, लेकिन अयोग्यता नहीं, जबकि अधूरी घोषणाएं अस्वीकृति का कारण बन सकती हैं, विरोधाभासी रूप से धोखे पर ईमानदारी को दंडित कर सकती हैं।
- पारदर्शिता और डेटा का अभाव: नामांकन अस्वीकृति, पैटर्न या अस्वीकृत उम्मीदवारों की राजनीतिक संबद्धता पर कोई सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है – जिससे प्रक्रिया अपारदर्शी और दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती है।
- प्रक्रिया का शस्त्रीकरण: सूरत में विपक्षी उम्मीदवारों की अस्वीकृति (2023) या वाराणसी में तेज बहादुर यादव का नामांकन (2019) जैसे उदाहरण बताते हैं कि कैसे प्रक्रियात्मक विवेक प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण बन सकता है।

तुलनात्मक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अन्य लोकतंत्र चुनाव अधिकारियों को सूत्रधार के रूप में मानते हैं, द्वारपाल के रूप में नहीं:

- यू.के. - रिटर्निंग अधिकारी समय सीमा से पहले गलतियों को सुधारने में उम्मीदवारों की सहायता करते हैं।
- कनाडा - 48 घंटे की सुधार विंडो को अनिवार्य करता है।
- जर्मनी - लिखित सूचना और अपील विकल्प प्रदान करता है।
- ऑस्ट्रेलिया - सुधार की अनुमति देने के लिए जल्दी सबमिशन को प्रोत्साहित करता है।

इसके विपरीत, भारत की प्रणाली अभी भी पूर्व सूचना या उपाय के बिना सबमिशन के बाद अस्वीकृति की अनुमति देती है, जो भागीदारी लोकाचार के बजाय एक प्रशासनिक लोकाचार को दर्शाती है।

सुझाए गए सुधार

एक. **विवेक से कर्तव्य में बदलाव:**
- आरओ की भूमिका सुविधाजनक होनी चाहिए, दंडात्मक नहीं।
- प्रत्येक कमी को सटीक त्रुटि निर्दिष्ट करने वाली एक लिखित सूचना और 48 घंटे की सुधार विंडो को ट्रिगर करना चाहिए।

दो. **दोषों का वर्गीकरण:**
- श्रेणी 1: तकनीकी दोष (हस्ताक्षर, टाइपो, रिक्त कॉलम अनुपलब्ध) - अस्वीकृति को सही नहीं ठहरा सकते।
- श्रेणी 2: प्रामाणिकता के मुद्दे (विवादित हस्ताक्षर, जाली दस्तावेज) - अस्वीकृति से पहले सत्यापन की आवश्यकता होती है।
- श्रेणी 3: संवैधानिक या वैधानिक प्रतिबंध (आयु, नागरिकता, आपराधिक अयोग्यता) - तत्काल अस्वीकृति का कारण बनते हैं।

तीन. **डिजिटल-बाय-डिफ़ॉल्ट नामांकन प्रणाली:**
- मतदाता डेटाबेस के साथ एकीकृत एक एकल ऑनलाइन पोर्टल विकसित करें।

- मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचन क्षेत्र और प्रस्तावक विवरण का डिजिटल सत्यापन सक्षम करें।
- पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक डैशबोर्ड पर वास्तविक समय स्थिति अपडेट, कमी नोटिस और अस्वीकृति के कारण प्रदर्शित करें।

चार. **अनिवार्य तर्कसंगत आदेश:**

- प्रत्येक अस्वीकृति में उल्लंघन किए गए प्रावधान और सबूतों का हवाला देते हुए स्पष्ट औचित्य शामिल होना चाहिए , जिससे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

लोकतांत्रिक निहितार्थ

- नामांकन की मनमाने ढंग से अस्वीकृति दो मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करती है:
  एक. उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार, और
  दो. उम्मीदवारों में से चुनने का मतदाता का अधिकार।
- यदि चुनावी गेटकीपिंग प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, तो पूरी लोकतांत्रिक कवायद खोखली हो जाती है, जिससे चुनाव केवल प्रक्रियात्मक अनुष्ठानों तक सीमित हो जाते हैं।

निष्कर्ष

भारत की नामांकन प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षा उपाय के रूप में है, एक नौकरशाही फिल्टर के रूप में विकसित हो गया है जो मतदान शुरू होने से पहले ही लोकतंत्र को दबा सकता है। समय की मांग है कि एक नागरिक-अनुकूल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से आधुनिक प्रणाली हो जहां त्रुटियों को ठीक किया जाए, दंडित नहीं किया जाए। लोकतंत्र को इस धारणा पर टिकी होनी चाहिए कि प्रत्येक योग्य नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उस अधिकार को सुविधाजनक बनाए, न कि निराश करे। इस प्रकार नामांकन प्रक्रिया में सुधार स्वतंत्र विकल्प और राजनीतिक समावेशन की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है – जो भारत के लोकतांत्रिक वादे का सार है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत में चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नामांकन प्रक्रिया एक सुरक्षा के रूप में कार्य करने के लिए है जो केवल योग्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए सुनिश्चित करती है।

2. वर्तमान में, यह एक नौकरशाही प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है जो कभी-कभी लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रतिबंधित कर सकता है।

3. इस प्रक्रिया में सुधारों का उद्देश्य इसे अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(स) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3
उत्तर: c)

UPSC Mains Practice Question

□□□□□ □□□□□□

प्रश्न: भारत की नामांकन प्रक्रिया, जिसे एक सुरक्षा उपाय के रूप में डिज़ाइन किया गया है, एक नौकरशाही बाधा बन गई है जो अक्सर लोकतांत्रिक भागीदारी को कम करती है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करें। **(250 शब्द)**

Page : 15 : GS 3 : Environment

□□□□□ □□□□□□

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि 2025 संभवतः रिकॉर्ड पर शीर्ष तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा, जो बढ़ते वैश्विक तापमान की एक दशक लंबी लकीर जारी रखेगा। ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है, जिससे जलवायु संकट तेज हो गया है।

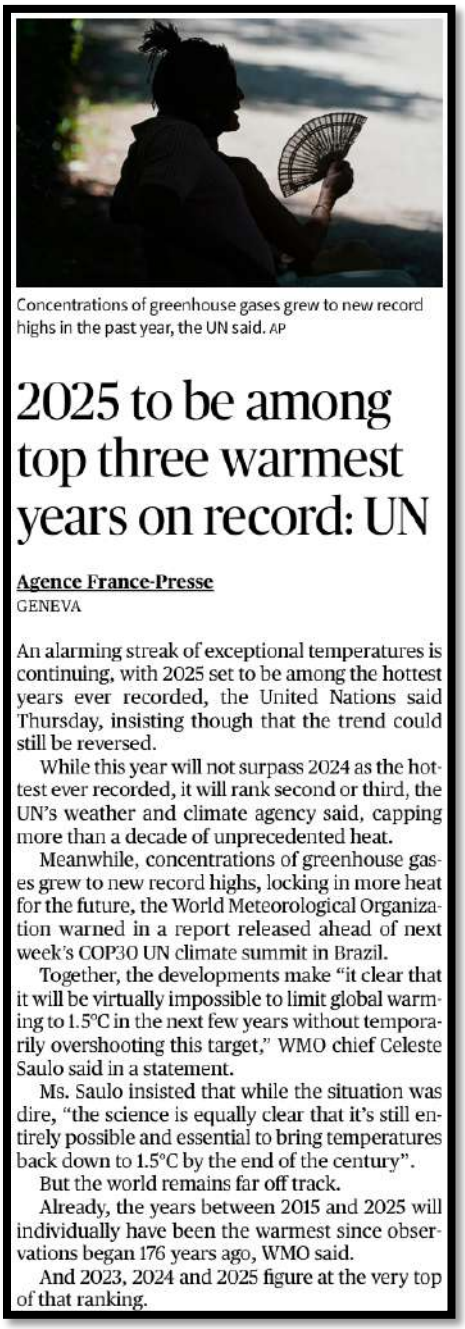

Concentrations of greenhouse gases grew to new record highs in the past year, the UN said. AP

2025 to be among top three warmest years on record: UN

Agence France-Presse
GENEVA

An alarming streak of exceptional temperatures is continuing, with 2025 set to be among the hottest years ever recorded, the United Nations said Thursday, insisting though that the trend could still be reversed.

While this year will not surpass 2024 as the hottest ever recorded, it will rank second or third, the UN's weather and climate agency said, capping more than a decade of unprecedented heat.

Meanwhile, concentrations of greenhouse gases grew to new record highs, locking in more heat for the future, the World Meteorological Organization warned in a report released ahead of next week's COP30 UN climate summit in Brazil.

Together, the developments make "it clear that it will be virtually impossible to limit global warming to 1.5°C in the next few years without temporarily overshooting this target," WMO chief Celeste Saulo said in a statement.

Ms. Saulo insisted that while the situation was dire, "the science is equally clear that it's still entirely possible and essential to bring temperatures back down to 1.5°C by the end of the century".

But the world remains far off track.

Already, the years between 2015 and 2025 will individually have been the warmest since observations began 176 years ago, WMO said.

And 2023, 2024 and 2025 figure at the very top of that ranking.

मुख्य निष्कर्ष

एक. **रिकॉर्ड तोड़ गर्मी:**
- 2015-2025 के बीच, रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से हर एक वर्ष (176 साल पहले) सबसे गर्म वर्षों में से एक है।
- 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बना हुआ है, जबकि 2025 दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है।

दो. **ग्रीनहाउस गैस सांद्रता:**
- CO□, CH□ (मीथेन), और N□O (नाइट्रस ऑक्साइड) का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे अधिक गर्मी फंस रही है।
- इन गैसों ने भविष्य के दशकों के लिए अतिरिक्त वार्मिंग को "लॉक" कर दिया है।

तीन. **खतरे में वैश्विक लक्ष्य:**
- डब्ल्यूएमओ ने चेतावनी दी है कि इस लक्ष्य को ओवरशूट किए बिना अल्पावधि में वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना लगभग असंभव होगा।
- हालांकि, वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि अगर उत्सर्जन तेजी से गिरता है तो सदी के अंत तक तापमान स्थिरीकरण अभी भी प्राप्त किया जा सकता है।

चार. **COP30 संदर्भ:**
- यह रिपोर्ट COP30 (ब्राजील, 2025) से ठीक पहले आई है, जहां देशों से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को संशोधित करने और बढ़ाने की उम्मीद की जाती है।

बढ़ते तापमान के कारण

- जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक उत्सर्जन का लगातार जलना।
- वनों की कटाई और कार्बन सिंक में गिरावट।
- कमजोर वैश्विक जलवायु शासन और अपर्याप्त जलवायु वित्त।
- आवर्ती अल नीनो घटनाएं, अल्पकालिक तापमान में वृद्धि को तेज करना।

प्रभाव

- मानव स्वास्थ्य: अधिक हीटवेव, पानी का तनाव और वेक्टर जनित बीमारियां।
- कृषि: फसल की उपज में कमी, मिट्टी का क्षरण और खाद्य असुरक्षा।
- पारिस्थितिक तंत्र: कोरल ब्लीचिंग, जैव विविधता का नुकसान, और जंगल की आग में वृद्धि।

- अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचे को नुकसान, उच्च ऊर्जा मांग और प्रवासन दबाव।

आगे की राह

एक. गहरी उत्सर्जन कटौती: नवीकरणीय ऊर्जा में तत्काल परिवर्तन, कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और सख्त कार्बन मूल्य निर्धारण।
दो. जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकसित देशों को विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा।
तीन. अनुकूलन और लचीलापन निर्माण: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, गर्मी कार्य योजनाएं, और जलवायु-लचीली कृषि।
चार. COP30 में वैश्विक सहयोग: मजबूत, कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य और न्यायसंगत संक्रमण तंत्र।

निष्कर्ष

WMO की चेतावनी इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। तत्काल, सामूहिक कार्रवाई के बिना, पेरिस समझौते का 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य पहुंच से परे हो सकता है। हालांकि, विज्ञान अभी भी आशा प्रदान करता है - निर्णायक शमन और अनुकूलन रणनीतियाँ अभी भी एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: समाचारों में देखा जाने वाला शब्द "राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)" किससे संबंधित है?

(क) सीबीडी के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण लक्ष्य

(ख) पेरिस करार के अंतर्गत देश-वार उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धताएं

(c) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत वैश्विक स्वास्थ्य पहल

(घ) यूएनईपी के अंतर्गत वन पुनरुद्धार कार्यक्रम

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने रिकॉर्ड-उच्च ग्रीनहाउस गैस सांद्रता की चेतावनी दी है। जलवायु प्रणाली में ग्रीनहाउस गैसों की भूमिका का विश्लेषण करें और उनके प्रभाव को कम करने के लिए भारत की नीति प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें **(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□

Page : 08 Editorial Analysis

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Redraw welfare architecture, place a UBI in the centre

Saptagiri Sankar Ulaka

is Member of Parliament (Lok Sabha), Indian National Congress, and Chairperson, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj

As India's wealth gap stretches to levels unseen since Independence and technology races ahead of policy, we find ourselves hurtling toward a collision of crises, job-shedding automation, gig economy precarity, climate-driven displacement and a mental health time bomb fed by chronic insecurity. At this moment, ideas such as universal basic income (UBI), once dismissed as utopian, deserve a fresh, pragmatic look. A UBI can cushion mass unemployment, restoring consumer demand when machines outnumber workers, rewarding unpaid care that props up the formal economy, and rebuilding a social contract frayed by pandemics and capitalism alike. In India, where welfare systems are often plagued by inefficiencies, exclusions and complex eligibility filters, a UBI offers a radical yet simple proposition: a periodic, unconditional cash transfer to every citizen, irrespective of income or employment status. Re-examining it is no longer an academic indulgence. It is an urgent policy imperative. By embedding dignity, autonomy and simplicity into its design, a UBI challenges us to rethink what a welfare state ought to provide in the 21st century.

Universality is the primary strength of a UBI. Where Bismarckian and Beveridgean models peg security to past employment or bureaucratic proof of hardship, a UBI anchors it in citizenship alone, transforming social protection into a streamlined, rights-based pipeline that is resilient to automation shocks, climate emergencies and the invisible labour of care. It bypasses the administrative complexities of targeted welfare and removes the stigma associated with poverty-based entitlements. It aims to create a basic floor of income security for all, ensuring that no one is left behind due to bureaucratic lapses or conditional access.

The argument for a UBI in India

India's current welfare landscape, though expansive, remains fragmented and uneven. Schemes suffer from leakage, duplication, and exclusion. A UBI offers a way to streamline welfare delivery, particularly as digital infrastructure, such as Aadhaar and Direct Benefit Transfer (DBT) platforms, matures. But the argument for a UBI is not just administrative; it is fundamentally moral and economic.

The macro numbers flatter us. Earlier this year, the Press Information Bureau (PIB) claimed that India ranks fourth globally in income equality, citing the consumption-based Gini index. However, this measure focuses on household expenditure, not income or wealth, and thus masks the true extent of economic inequality. According to the World Inequality Database, India's wealth inequality Gini stood at 75 in 2023. The top 1% of the population owns 40% of the national wealth, while the top 10% controls nearly 77%. These figures suggest a level of concentration unseen since colonial times.

At the same time, India's GDP growth – 8.4% in 2023-24 – has failed to translate into broad-based prosperity. Nobel laureate Joseph Stiglitz has long argued that GDP, while measuring economic output, does not account for the quality of life, environmental sustainability or equity. This disconnect is underscored by India's ranking of 126 out of 137 countries in the 2023 World Happiness Report – behind Nepal, Bangladesh, and Pakistan. GDP-centric narratives obscure rising precarity, job insecurity and social stress.

A modest, unconditional deposit, landing in every Jan Dhan account without forms or favours, means that a gig-worker can buy vegetables even when the app is quiet and a rickshaw driver's child can start the school term with new shoes. So, a UBI chips away at extreme concentration, reduces the lure of one-off freebies, and anchors growth in every kitchen rather than just in quarterly spreadsheets.

Pilot studies within India, including the Self Employed Women's Association (SEWA)-led initiative in Madhya Pradesh (2011-13), found that UBI recipients experienced better nutrition, increased school attendance, and higher earnings. International trials in Finland, Kenya and Iran showed similar results, with improved mental health and food security, without reducing willingness to work.

Automation and artificial intelligence add urgency to the case for a UBI. According to a McKinsey Global Institute report, up to 800 million jobs worldwide could be displaced by 2030 due to automation. India's semi-skilled and informal workforce is especially vulnerable. A UBI can provide a buffer during this transition, allowing time for upskilling and repositioning in the labour market.

It will rework the citizen-state relationship

The philosophical case for a UBI is equally compelling. For decades, the relationship between the citizen and the state has been largely transactional, defined by market participation and economic contribution. A UBI offers a structural antidote to the very populist, consumer-as-voter politics Shruti Kapila critiques. It removes the political incentive to dangle ad hoc freebies, free power here, a loan-waiver there, that parties deploy to manufacture short-term allegiance. When income security is decoupled from partisan largesse, voters are less hostage to transactional giveaways and more empowered to judge governments on systemic outcomes: quality of schools, rule of law, and ecological stewardship. In this sense, a UBI shifts the relationship from consumerism ("Vote me in, get subsidised units of electricity") back to citizenship ("You already possess a basic economic right; now demand good governance"). It replaces the politics of paternal patronage with a rights-based social contract, undercutting populist schemes that thrive on scarcity, targeted subsidies and moral grandstanding.

Worries that a basic income cheque would make everyday prices explode do not match how people live where such cheques already exist. Big inflations, Weimar and Zimbabwe happened when factories shut and debts were owed in foreign money, not because ordinary people got a little extra spending money. Fund a UBI responsibly, keep the shelves stocked, and it becomes a cushion against hardship, not a spark for price hikes. Rather than dismiss a UBI as fiscally unviable or politically risky, we must engage with it seriously, as a tool to reduce poverty, mitigate inequality, and strengthen democratic citizenship.

It is important to recognise that a UBI is not a panacea. It will not by itself create jobs, fix public health systems or transform education outcomes. But it can serve as a base – providing a minimum level of economic security upon which individuals can build lives of agency and aspiration. It also recognises and supports unpaid labour, especially the care work undertaken predominantly by women, which remains invisible in traditional economic metrics. A UBI is not about promoting dependency; it is about expanding opportunity.

Some issues such as funding

Despite its promise, a UBI raises legitimate concerns. A minimal UBI of ₹7,620 a person a year – equivalent to the poverty line – would cost around 5% of India's GDP. Funding such an initiative would require either raising taxes, rationalising subsidies, or increasing borrowing, each of which has its economic implications. Moreover, a UBI's universality could dilute its redistributive intent by allocating resources to affluent sections alongside the poor.

A practical way forward would be to introduce a UBI in phases. Vulnerable groups – women, the elderly, persons with disabilities and low-income workers – could be prioritised. This targeted rollout would allow for evaluation and infrastructure building before full-scale implementation. A UBI could also complement, rather than replace, essential schemes such as the Public Distribution System and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act , particularly in the early stages.

Another key challenge is technological access. While Aadhaar and Jan Dhan have expanded financial inclusion, gaps remain in digital literacy, mobile access and bank connectivity particularly in tribal, remote, and underserved areas. These gaps must be closed to prevent exclusion from a scheme intended to be universal.

As the Indian state seeks to modernise its welfare architecture, a UBI deserves a central place in the conversation. History suggests that India will revisit the question sooner than we think. The calculus is no longer 'Can we afford UBI?' but 'Can we afford the democratic cost of mass insecurity'? Universality, not means-testing, is the architecture fit for a 21st-century welfare state.

The views expressed are personal

In today's crisis-ridden world, ideas such as a universal basic income (UBI) are an urgent policy need

□□□□□ □□□□□□

GS. Paper 2 शासन

UPSC Mains Practice Question बढ़ती असमानता और स्वचालन-प्रेरित नौकरी के नुकसान के संदर्भ में, चर्चा करें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) भारत के कल्याणकारी ढांचे को कैसे फिर से परिभाषित कर सकता है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

जैसा कि भारत बढ़ती आय असमानता, नौकरी-विस्थापन स्वचालन और बढ़ती सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) का विचार - जिसे कभी यूटोपियन के रूप में देखा जाता था - एक गंभीर नीतिगत विकल्प के रूप में फिर से उभरा है। अपने लेख "वेलफेयर आर्किटेक्चर को फिर से तैयार करें, केंद्र में एक यूबीआई रखें" में, सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका का तर्क है कि एक यूबीआई भारत की कल्याणकारी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक नैतिक, आर्थिक और संरचनात्मक सुधार के रूप में काम कर सकता है । यूबीआई सभी नागरिकों को आय का एक सरल, बिना शर्त और सार्वभौमिक हस्तांतरण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य खंडित कल्याणकारी योजनाओं को एक गरिमापूर्ण, अधिकार-आधारित सुरक्षा जाल से बदलना है।

संदर्भ: असमानता और कल्याण का संकट

भारत की आर्थिक विकास की कहानी गहरी असमानता को छुपाती है।

- धन एकाग्रता: विश्व असमानता डेटाबेस (2023) के अनुसार, शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% हिस्सा है, और शीर्ष 10% लगभग 77% को नियंत्रित करते हैं - औपनिवेशिक काल के बाद से अनदेखा स्तर।
- GDP vs well-being disconnect: 8.4% GDP वृद्धि (2023-24) के बावजूद, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (2023) में भारत 126/137वें स्थान पर है, जो जीवन की खराब गुणवत्ता और बढ़ती असुरक्षा को दर्शाता है।
- श्रम चुनौतियाँ: स्वचालन और एआई लाखों अर्ध-कुशल और अनौपचारिक नौकरियों को खतरे में डालते हैं, जबकि गिग अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षा के बिना अनिश्चित रोजगार का विस्तार करती है।

इन चुनौतियों के बीच, भारत की कल्याणकारी संरचना खंडित बनी हुई है, जो लीकेज, दोहराव और बहिष्करण से प्रभावित है। मौजूदा योजनाएं अक्सर उन लोगों तक पहुंचने में विफल रहती हैं जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है - जिससे यूबीआई एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) क्या है?

यूबीआई एक आवधिक, बिना शर्त नकद भुगतान है जो सभी नागरिकों को किया जाता है, चाहे आय, रोजगार या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके तीन प्रमुख सिद्धांत हैं:

एक. सार्वभौमिकता: हर कोई इसे प्राप्त करता है - बहिष्करण त्रुटियों से बचना।
दो. बिना शर्त: काम, लिंग या जाति जैसी कोई शर्त नहीं।

तीन. आवधिकता: नियमित और पूर्वानुमानित हस्तांतरण आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

यूबीआई के पक्ष में तर्क

1. प्रशासनिक दक्षता और सरलता

यूबीआई लक्षित कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी नौकरशाही जटिलता और भ्रष्टाचार को समाप्त करता है। आधार और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्लेटफॉर्म के साथ , भारत के पास पहले से ही कार्यान्वयन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है।

2. नैतिक और आर्थिक तर्क

- नैतिक: नागरिकता के अधिकार के रूप में गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करता है, दान नहीं।
- आर्थिक: उपभोक्ता मांग को पुनर्स्थापित करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करता है, और अवैतनिक देखभाल कार्य (ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है) का समर्थन करता है।

3. पायलट अध्ययन से साक्ष्य

- मध्य प्रदेश में सेवा का पायलट (2011-13): बेहतर पोषण, स्कूल उपस्थिति और छोटे व्यवसाय निवेश।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: फिनलैंड, केन्या और ईरान ने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, गरीबी में कमी और काम की भागीदारी में कोई गिरावट नहीं देखी।

4. तकनीकी बेरोजगारी के प्रति प्रतिक्रिया

2030 तक वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन नौकरियों को विस्थापित करने का अनुमान है (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट), यूबीआई एक संक्रमण बफर के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे लोगों को फिर से प्रशिक्षित करने और अनुकूलन करने का समय मिल सकता है।

5. लोकतंत्र और नागरिकता को मजबूत करना

यूबीआई नागरिक-राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करता है:

- कल्याण को पितृसत्तात्मक मुफ्तखोरी से अधिकार-आधारित ढांचे की ओर ले जाता है।
- सशर्त सब्सिडी पर लोकलुभावन निर्भरता को कम करता है।
- नागरिकों को बेहतर शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

6. व्यापक आर्थिक स्थिरता

मुद्रास्फीति की आशंकाओं को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर आंका जाता है। जैसा कि लेखक ने नोट किया है, जिम्मेदार धन और उत्पादक आपूर्ति मूल्य वृद्धि को रोक सकती है। इसके बजाय, एक यूबीआई कुल मांग को प्रोत्साहित कर सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

□□□□□ □□□□□□

1. राजकोषीय बोझ

भारत की गरीबी रेखा (प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वार्षिक) के बराबर एक बुनियादी यूबीआई की लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% होगी – जो गंभीर बजटीय बाधाओं को जन्म देगी।

2. पुनर्वितरण को कमजोर करने का जोखिम

यदि हर किसी को आय प्राप्त होती है - जिसमें अमीर भी शामिल हैं - तो पुनर्वितरण प्रभाव तब तक कमजोर हो सकता है जब तक कि प्रगतिशील कराधान के साथ संयुक्त न हो।

3. कार्यान्वयन और डिजिटल विभाजन

वित्तीय समावेशन में प्रगति के बावजूद, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों को अभी भी बैंकिंग पहुंच और डिजिटल साक्षरता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सच्ची सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. पूरकता बनाम प्रतिस्थापन

यूबीआई को पीडीएस, मनरेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तब तक पूरक बनाना चाहिए - प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए जब तक कि सिस्टम परिपक्व न हो जाए।

आगे बढ़ने का संभावित तरीका

एक. चरणबद्ध कार्यान्वयन: आगे बढ़ने से पहले कमजोर समूहों - महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और अनौपचारिक श्रमिकों के साथ शुरुआत करें।
दो. सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना: राजकोषीय अतिरिक्त के बिना यूबीआई को निधि देने के लिए ओवरलैपिंग योजनाओं को समेकित करना।
तीन. प्रगतिशील कराधान: पुनर्वितरण के वित्तपोषण के लिए धन, विरासत और विलासिता की वस्तुओं पर उच्च कर।
चार. डिजिटल सुदृढ़ीकरण: डीबीटी और जन धन खातों के माध्यम से सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना।
पाँच. साक्ष्य-आधारित विस्तार: राष्ट्रीय रोलआउट से पहले क्षेत्रीय कार्यक्रमों का पायलट और मूल्यांकन करें।

दार्शनिक महत्व

एक यूबीआई कल्याण निर्भरता से आर्थिक नागरिकता में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वीकार करता है कि गरिमा और सुरक्षा उत्पादकता के लिए पुरस्कार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार हैं। लोगों को नीति के केंद्र में रखकर, बाजार नहीं, यह 21वीं सदी के लिए भारत के सामाजिक अनुबंध को आधुनिक बनाता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे असमानता गहराती जा रही है और पारंपरिक नौकरियां कम हो रही हैं, भारत को अपने कल्याणकारी ढांचे को फिर से डिजाइन करना चाहिए। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यदि चरणबद्ध और वित्तीय रूप से प्रबंधित किया जाता है, तो एक सुरक्षा जाल और एक

□□□□□ □□□□□□

स्प्रिंगबोर्ड दोनों के रूप में कार्य कर सकता है - अवसर और स्वायत्तता को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को आर्थिक झटकों से बचाना। असली सवाल, जैसा कि उलाका का तर्क है, अब यह नहीं है कि "क्या भारत यूबीआई का खर्च उठा सकता है?" लेकिन क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? एक सार्वभौमिक, गरिमापूर्ण और अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा मॉडल न केवल वांछनीय है - यह आने वाले दशकों में लोकतंत्र, समावेश और समान विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।